प्ररूप–ङ

[नियम 7(2) देखिये]

अनुशंसा

प्रति,

गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपकम)
PNGRB

विषयः– **अ.वि.अ. तिल्दा–नेवरा का रा.प्र.कं. 202503115000017 अ–62 वर्ष 2024–25**
संदर्भ :– आपका पत्र कमांक गेल/एनआर जेपीएल/बिलासपुर/2024–25/596 दिनांक :– 13.01.2025

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 13.01.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 20.01.2025 का जारी किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु प्राकृतिक गैस पाईपलाईन बिछाई जाने का कार्य कर रही है। गैर परिवहन की सुरक्षा एवं निगरानी हेतु लगभग हर 30 किलोमीटर पर SV/IP स्टेशन का निर्माण किया जाता है। ग्राम भूमिया प.ह.नं. 01 रा.नि.मं. तरपोंगी तहसील तिल्दा–नेवरा जिला रायपुर (छ.ग.) स्थित भूमि खसरा नंबर 199/2 में IP -10 (intermediate pigging) स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। जिसकी सुरक्षा नियंत्रण भवन प्रकिया क्षेत्र सुरक्षा कक्ष, चारों ओर से बाउन्ड्री का निर्माण होना हैं, जिस पर कुल 15 नग कहुआ एवं 03 पलाश का पेड़ स्थित है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदित भूमि खसरा नंबर 199/2 रकबा 1.335 हें0 ग्राम भूमिया प.ह.नं. 01 रा.नि.मं. तरपोंगी तहसील तिल्दा–नेवरा जिला रायपुर (छ.ग.) स्थित वृक्ष जिसकी प्रजाति 15 नग कहुआ एवं 03 पलाश कुल 18 नग पेड़ है, **छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 धारा 240 के अधीन निर्मित नियम वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के कंडिका 7.3 के अनुसार एक कैलेण्डर वर्ष में, एक खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से एवं अधिकतम कुल 10 वृक्षो के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी।** उपरोक्त वृक्षों में से 10 नग वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधो पर उल्लघंन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (कं. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किय जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग तिल्दा–नेवरा
तिल्दा–नेवरा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
तिल्दा–नेवरा
जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, जिला रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
3. नायब तहसीलदार तिल्दा–नेवरा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु प्रेषित्।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग तिल्दा–नेवरा
तिल्दा–नेवरा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
तिल्दा–नेवरा
जिला–रायपुर (छ.ग.)